"हिंदी केवल साहित्य के लिए ही नहीं, अपितु विज्ञान के लिए भी उपयुक्त भाषा है"

महत्वाकांक्षी तकनीकी पाठ्य पुस्तक पुरस्कार योजना

हिंदी में मौलिक तकनीकी पुस्तक लेखन तथा अनुवाद को प्रोत्साहित करने हेतु महत्वाकांक्षी तकनीकी पाठ्य पुस्तक पुरस्कार योजना निम्नानुसार लागू की गई है।

पृष्ठभूमि :

संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश के अनुसार निदेशों के अनुपालन में 29.11.195 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था कि परिषद् के अंतर्गत आनेवाले तकनीकी विषयों (इंजीनियरिंग, प्रबंधन, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, नगर आयोजना एवं वास्तुकला, भेषजी, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प तथा कम्प्यूटर विज्ञान) में हिन्दी में लिखित सर्वोत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों पर हर वर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाएं। निर्णय के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति ने बैठक करके प्रकाशन प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से "तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना" की रूपरेखा तैयार की।

अभातशिप में वर्ष 1998–1999 से तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना निरंतर जारी है जोकि परिषद् की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य डिग्री स्तर, पॉलीटैक्निक/डिप्लोमा स्तर तथा आई.टी.आई./तकनीशियन स्तर के विषयों में छात्रों के लिए हिन्दी में लिखित तथा अनुदित पाठ्यपुस्तकों के लेखन को बढ़ावा देना है।

अभातशिप द्वारा पिछले 6 वर्षों में 64 लोगों को लगभग 16, 50000/– रू0 की राशि के पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 1998 से वर्ष 2005–2006 तक प्रथम पुरस्कार रू0 51,000/–, द्वितीय पुरस्कार रू0 31, 000/–, तृतीय पुरस्कार 21, 000/– के पुरस्कार दिए जाते थे।

चूंकि यह योजना परिषद् की अपनी योजना है और इसका मूल्यांकन करके पुरस्कार आदि का निर्णय एवं वितरण अभातशिप द्वारा किया जाता है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त तकनीकी पुस्तकों पर पुरस्कार देने से संबंधित निदेश के अनुसार परिषद्, पुरस्कार राशि को निश्चित करने में स्वतंत्र है। इसलिए योजना के अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रोत्साहनवर्द्धक परिणामों को देखते हुए वर्ष 2007 की योजना से संबंधित पुरस्कारों की राशि को बढ़ाया गया तथा पुरस्कारों की रूपरेखा को बदलकर विस्तृत कर दिया गया।

पुरस्कारों का वर्तमान स्वरूप

वर्तमान में परिषद् द्वारा कुल 15 पुरस्कार दिये जा रहे हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(I) तकनीकी पाठ्यपुस्तकें हिन्दी में लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार

हिन्दी में डिग्री स्तर (यूजी/पीजी) की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रू०	1,00,000/–
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रू०	51,000/–
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रू०	31,000/–

हिन्दी में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रू०	51,000/–
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रू०	31,000/–
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रू०	21,000/–

हिन्दी में आई.टी.आई./तकनीशियन स्तर की तकनीकी शिक्षा की पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रू०	31,000/–
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रू०	21,000/–
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रू०	11,000/–

(II) अंग्रेजी अथवा अन्य भाषा से हिन्दी में अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों के लिए पुरस्कार

हिन्दी में डिग्री (यूजी/पीजी) तथा डिप्लोमा स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रू०	31,000/–
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रू०	21,000/–
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रू०	11,000/–

हिन्दी में आई.टी.आई./तकनीशियन स्तर की अनूदित तकनीकी पाठ्यपुस्तकों हेतु

प्रथम पुरस्कार (I Prize)	रू०	21,000/–
द्वितीय पुरस्कार (II Prize)	रू०	11,000/–
तृतीय पुरस्कार (III Prize)	रू०	5,000/–

उक्त पुरस्कार विशेषज्ञ समिति द्वारा चयनित लेखकों/अनुवदकों को परिषद् के माननीय अध्यक्ष महोदय अथवा अन्य उच्चाधिकारियों के कर कमलों से प्रदान किये जाते हैं।

योजना से संबंधित अन्य जानकारी :–

योजना का विवरण/नियम एवं शर्तें तथा ध्यान देने योग्य मुख्य बातें

1. **योजना का नाम :**
   इस योजना का नाम "तकनीकी पाठ्यपुस्तक पुरस्कार योजना" है।

2. कार्यक्षेत्र :

इस योजना के अंतर्गत अभातशिप के अधिकार–क्षेत्र में आने वाले तकनीकी शिक्षा से संबंधित विषयक्षेत्रों अर्थात् इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर व ग्राम आयोजना, प्रबंधन, अनुप्रयुक्त कला और भेषजी (फार्मेसी) आदि में गत 5 वर्षों में डिग्री (यू.जी./पी.जी.), डिप्लोमा, पालिटेक्निक आई.टी.आई./तकनीशियन स्तर की हिन्दी भाषा में प्रकाशित मौलिक और/अथवा अनूदित पाठ्यपुस्तकों पर पुरस्कार के लिए विचार किया जाता है।

3. उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजभाषा (हिन्दी) में उपर्युक्त विषयों में उत्कृष्ट पाठ्यपुस्तक लेखन तथा हिन्दी अनुवाद को बढ़ावा देना और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम ज्ञान–विज्ञान हिन्दी में उपलब्ध कराने के लिए लेखकों और तकनीकी विषयों के अनुवादकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

4. पुरस्कार योजना में भाग लेने की पात्रता :

सभी भारतीय नागरिक पुरस्कार योजना में भाग ले सकते हैं। इस योजना में मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार की पुस्तकों पर अलग–अलग विचार किया जाएगा।
जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

5. सामान्य शर्तें :

(i) आवेदन पत्र के सभी कॉलमों में पूरी एवं सटीक जानकारी दी जाए। विशेष रूप से डाक पता एवं दूरभाष संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाए।

(ii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर–बराबर बांट दी जाएगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों की चयन प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

(iv) सभी पुरस्कार हर वर्ष दिए जाएंगे। यदि किसी वर्ष में चयन समिति की राय में, किसी वर्ग के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में से कोई भी प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

(v) परिषद् को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का मूल्यांकन करने और मूल्यांकन के लिए निर्धारित नियमों/विनियमों में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार होगा।

(vi) प्रविष्टि के साथ संलग्न की गई पाठ्यपुस्तकों की प्रतियाँ परिषद् की संपति मानी जाएंगी तथा तत्पश्चात् उन पर लेखक और/अथवा अनुवादक का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा।

6. मूल्यांकन समिति :

पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन हेतु परिषद् द्वारा पारदर्शी प्रणाली अपनाते हुए उपयुक्त पुस्तकों तथा पात्र लेखकों का चयन करने के लिए मूल्यांकन समिति गठित की जाती है, जिसमें समिति के अध्यक्ष के अलावा अन्य विषय विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों को इस समिति में सहयोजित किया जाता है।

7. आवेदक/आवेदकों के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य बातें :

(i) आवेदन–पत्र पर लेखक/लेखकों और/अथवा अनुवादक/अनुवादकों का फोटो अवश्य लगा हो तथा उस पर उसके/उनके हस्ताक्षर अवश्य हों।

(ii) निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

(iii) यदि कोई लेखक/अनुवादक अपनी एक से अधिक पुस्तकें पुरस्कार के लिए प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए अलग आवेदन–पत्र देना होगा।

(iv) संपर्क के लिए वर्तमान पता, स्थायी पता तथा टेलीफोन/मोबाईल नं0 तथा ई–मेल (यदि कोई हो) का उल्लेख अवश्य करें। यदि निकट भविष्य में उनके अनयत्र स्थानांतरित होने की संभावना हो, तो भविष्य के संपर्क सूत्र का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(v) अनूदित पुस्तक के मामले में मूल लेखक की अनुमति/सहमति संलग्न करें।

(vi) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पास पाठ्यपुस्तकों को पुरस्कार हेतु स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार होगा और इस विषय में परिषद् का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(vii) पुरस्कारों के मूल्यांकन/निर्धारण के संबंध में परिषद् का निर्णय सभी आवेदकों/लेखकों/अनुवादकों के लिए अंतिम व सर्वमान्य होगा।

8. प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की 4 प्रतियां लेखकों और/अथवा अनुवादकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के कार्यालय में अंतिम तिथि तक विधिवत् भरे हुए निर्धारित प्ररूप के साथ भेजनी होती है।